न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 23.12.2015

[illegible] संख्या :-180 / 2015

CCMS NO:- 2015/00105

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. हजारीलाल आ0 कालूलाल जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज.

–प्रार्थी–

बनाम

1. देव बाई पुत्री हीरा लाल पत्नी पोखर जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज .
2. भंवरलाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
3. रामरतन पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
4. रामफूल आ0 पोखर जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
5. मुर्तिबाई पत्नि रामरतन जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
6. बजवंत सिंह आ0 जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी जैथल तहसील के.पाटन जिला बून्दी राज0 हाल निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
7. मलकीत सिंह आ0 जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी जैथल तहसील के.पाटन जिला बून्दी राज0 हाल निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
8. नटी बाई पत्नि हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
9. लटूर आ0 श्री खाना जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
10. छीतर आ0 श्री खाना जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
11. शोजी आ0 श्री खाना जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
12. मोजीराम आ0 श्री खाना जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
13. मांगीबाई बैवा खाना जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
14. सीता पुत्री श्री खाना जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
15. कालू आ0 श्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी मोहब्बतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
16. भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर।
अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 21.03.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि मोहब्बतपुरा पटवार मण्डल बंसोली भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई तहसील नैनवां जिल[illegible] के खाता संख्या 92 के खसरा संख्या 112 रकबा 3 बीघा कृषि भूमि स्थित [illegible]हब्बतपुरा पटवार मण्डल बंसोली भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई तहसील नैनवां जिला [illegible] राजस्थ[illegible] सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 24 के खसरा संख्या [illegible] रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा [illegible] मोहब्बतपुरा पटवार मण्डल बंसोली भूअभिलेख नि[illegible] बून्दी राजस्थान की सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 79 के खसरा संख्या 37 रकबा 8 [illegible] 12 बिस्वा, खसरा संख्या 66 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 67 रकबा 2 बीघा 17 बिस्[illegible]सरा संख्या 68 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 111 रकबा 7 बीघा 9 बिसवा, खसरा संख्या 152 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 153 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि हैं तथा वाद पत्र की

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:33:53 IST
Reason: SelfAttested

COURT DECISION 2022

Scanned with CamScanner

...संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी की पत्नि है, के खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि है तथा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जिसमें वादी के पिता का 1/2 हिस्सा दर्ज है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने का एक मात्र रास्ता देई से बून्दी जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर खसरा संख्या 116 जो कि सिवायचक भूमि है में होता हुआ खसरा संख्या 115 व खसरा संख्या 117 के बीच की मेड पर होता हुआ वादी की भूमि में जाता है जो करीबन 10 फीट चौड़ा है जिसमें होकर वादी अपने ट्रेक्टर, बैलगाडी, हल, कुली आदि ले कर वर्षो से आवागमन कर रहा है और रास्ते का सुखाधिकार भी प्राप्त कर चुका है। इस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से बता रखा है इस रास्ते के अलावा वादी के खेतों में आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नही है। परिशिष्ट 'अ' को वाद का अंग माना जावे। यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ने करीबन 2 माह पूर्व पट्टीयां गाडकर तार खिंचकर तथा कांटो की बाड करके रास्ता रास्ता अवरूद्ध कर दिया। यही वाद का कारण है।

वादी ने राजस्व अधिकारियों व ग्राम पंचायत के उक्त रास्ते को बहाल करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये लेकिन प्रार्थना पत्र की कोई कार्यवाही नही होने से वादी को मजबूरन श्रीमान से समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वाद पत्र चरण संख्या 6 व परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करवाने प्रतिवादीगण द्वारा गाडी गई पट्टियां, तार व कांटो की बाड को हटवाने , रास्ते को 30 फीट चौडा करवाने, नक्शा ट्रेस तथा अन्य राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाये और रास्ते पर वादी के हक अधिकार व आवागमन में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करवाये। यह कि प्रार्थी रास्ते में आने वाली प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 7 की भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र, बयानों के शपथ पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ने अपने जवाब दावे में निवेदन किया कि वादी को भूमि खसरा संख्या 112 पर आने जाने का वर्षो पुराना रास्ता देई से बून्दी जाने वाली पक्के डामर रोड उतरता हुआ सिवायचक भूमि खसरा संख्या 88 से होता हुआ खसरा संख्या 89 मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज की भूमि की पश्चिम की मेड व खसरा संख्या 91 की मेड की पूर्वी ओर के मध्य होता हुआ खसरा संख्या 224/92 की मेड की पूर्वी ओर के सहारे होकर निकल रहा है तथा वादी खसरा संख्या 112 की भूमि पर इसी रास्ते से होकर आता जाता है तथा इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग अपने कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के लिए काम में लेता चला आ रहे है तथा वर्षो पुराना कदिमी रास्ता भी यही होकर निकल जाता है जिसे खातेदारन अपनी भूमि पर आने जाने के लिए काम में लेते चले आ रहे है। उक्त रास्ते को जवाब दावे के परिशिष्ट "ब" में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो जवाब दावे का अभिन्न अंग है। वादी स्वच्छ करो से श्रीमान के समक्ष नही आया है इसलिए उक्त वाद चलने योग्य नही है, अपितु खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके मुताबिक प्रार्थनापत्र व वादी हजारी लाल द्वारा अपनी स्वंय की एवं अपनी पत्नी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि आराजी संख्या 111,112,113,114 पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वादी पूर्व में खसरा संख्या 115, 116 की दक्षिणी मेर व खसरा संख्या 117, 138/209 का उत्तरी मेड के सहारे हो कर गुजरता था लेकिन कुछ भूमि खातेदारी में होने के कारण प्रतिवादियों द्वारा उक्त रास्ता वर्तमान में बन्द कर दिया गया है। मुताबिक रिकार्ड नक्शा में उक्त रास्ता दर्ज नही है। वर्तमान में वादी के पास मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

रास्ता हेतु काम में ली जाने वाली भूमि के रकबे की गणना:–

क्र. सं.	खसरा संख्या	लम्बाई = चौड़ाई	किस्म	क्षेत्रफल(बीघा बिस्वा) क्षे0 वर्ग फीट में
1.	115	54 गट्ठा X 2 गट्ठा	चा0 3	108 वर्ग गटठा
2.	116	36 गट्ठा X 2 गट्ठा	[illegible]	72 वर्ग गटठा
3.	138/209	18 गट्ठा X 2 गट्ठा	[illegible]	36 वर्ग गटठा
4.	117	72 गट्ठा X 2 गट्ठा	चा0 4	144 वर्ग गटठा
	किता – 4			360 वर्ग गटठा=0–18बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:33:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जम[illegible] व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, [illegible] अवलोकन किया गया। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम मोहब्बतपुरा पटवार मण्डल बंसोली भूअभिलेख ... क्षेत्र देई तहसील नैनवां जिला बून्दी में प्रार्थी के खातेदारी भूमि आराजी संख्या 111,112,113,114 ... जाने के लिये निम्नानुसार प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में ... किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खसरा संख्या	लम्बाई = चौड़ाई	किस्म	क्षेत्रफल(बीघा बिस्वा) क्षे0 वर्ग फीट में
1.	115	54 गट्ठा X 2 गट्ठा	बा0 3	108 वर्ग गटठा
2.	116	36 गट्ठा X 2 गट्ठा	बा0 4	72 वर्ग गटठा
3.	138 / 209	18 गट्ठा X 2 गट्ठा	बा0 3	36 वर्ग गटठा
4.	117	72 गट्ठा X 2 गट्ठा	बा0 4	144 वर्ग गटठा
	किता – 4			360 वर्ग गटठा=0–18बीघा

प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में जिन खातेदारान की भूमि उपयोग में आती हो, उनको रास्ते की राशि प्रतिकर में से भुगतान की जावे। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:33:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner